न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 61/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00222

उनवान

1. विश्म्भरदयाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मुडिक तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र राम सिंह (मृतक)
   1/1. श्रीमती जगनवाई पत्नी } स्व0 रामेश्वर
   1/2. रामनरेश पुत्रान }
   1/3. मिजाजीलाल पुत्र रामेश्वर (मृतक)
   1/3/1. श्रीमती कुसमा पत्नी
   1/3/2. अभिषेक } पुत्रान } स्व0 मिजाजीलाल
   1/3/3. सूरज
   1/3/4. बाली
   1/4. वीरेन्द्र पुत्र स्व0 रामेश्वर
   1/5. रजनी पुत्री रामेश्वर पत्नी जीतेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी पौंडरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

   } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिक तह0 बसेडी जिला धौलपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
3. तहसीलदार वहैसीयत लैण्ड होल्डर तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
4. ग्राम पंचायत मूडिक तहसील बसेडी जिला धौलपुर जरिये सरपंच ।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बसेडी दि0 26.02.16 प्र.सं. 65/2014 उनवानी रामेश्वर बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा व श्री हेमराज शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री दिनेश शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–03.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 पूर्व पुरूष ने एक दावा अंतर्गत धारा 188

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 568/2024 रकवा 0.04 है0 वाके ग्राम मूडिक तहसील बसेडी का वादी रैस्पो0 अपने भाई निहाल सिंह, विजेन्द्र सिंह, पुत्रगण राम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिक के साथ खातेदार काश्तकार है। परन्तु उपरोक्त आराजी का बाहमी बटवारे में भाईयों से वादी रैस्पो0 के हिस्से में दस साल पूर्व हुये विभाजन में वादी रैस्पो0 के हिस्से में आया है एवं तभी से मौके पर वादी रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण शेष रैस्पो0 राजस्थान राज्य के अधीन गठित संस्था है, जो राजस्थान राज्य की देखरेख में व निरीक्षण में विकास कार्य करती है। प्रतिवादी शेष रैस्पो0 जबरन असल रास्ता जो वादग्रस्त आराजी से पूर्व की ओर अस्तित्व में होते हुये नया दीगर रास्ता जबरन कदीमी रास्ते को छोडकर वादी रैस्पो0 की आराजी में होकर अवैध रूप से दक्षिण की ओर बल पूर्वक नया रास्ता कायम कर उसमें खरंजा निर्माण करने पर उतारू हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी रैस्पो0 संख्या 01 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2016 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0 दीवानी के साथ इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में अपीलाण्ट का कथन है कि रैस्पो0 संख्या 01 ने प्रार्थी अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना गलत व अवैधानिक तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। जिससे अपीलाण्ट परिवेदित है। क्योंकि विवादित आराजी में अपीलाण्ट के स्वत्व हैं। अपीलाधीन आदेश की आड में रैस्पो0 संख्या 01 प्रार्थी अपीलाण्ट के हको को समाप्त कर उसके एक मात्र रास्ते को समाप्त कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। हमने मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। रैस्पो0 ने रास्ता की भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि बताकर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। जिससे अपीलाण्ट का एक मात्र रास्ता बंद हो गया। सिविल न्यायालय ने दिनांक 20.01.2017 को अपने निर्णय में रैस्पो0 का केस नहीं मानते हुये स्थगन खारिज किया है। मौका पर्चा दिनांक 19.11.2014 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में सहमति से उक्त रास्ता पर खंरजा कराया है। जब सहमति से खरंजा निर्माण हुआ फिर वह अतिक्रमण की श्रेणी में कैसे आ सकता है। विवादित खसरा नम्बर में अन्य सहखातेदार भी हैं। परन्तु उनको दावा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जबकि सहखातेदार भी आवश्यक पक्षकार हैं। रैस्पो0 संख्या 03 के खर्चे से हुये खरंजा को हटाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बाहर है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि रैस्पो0 ने अपीलांट के शपथ पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह मियाद पर आपत्ति नहीं उठा सकते। अपीलाण्ट का शपथ पत्र सही माना जावेगा। जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट मियाद अंदर प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अन्य सहखातेदार का विवरण रैस्पो0 ने दावे की मद संख्या 01 में उल्लेख किया है। रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार हैं एवं अपनी ही आराजी पर दावा प्रस्तुत किया है। इससे अपीलाण्ट के हक कैसे समाप्त हो गये। अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित ही नहीं है। सिविल न्यायालय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ है। नक्शा दिनांक 10.09.2018 का अवलोकन फरमावें। जिनके विरूद्ध डिक्री प्राप्त की गयी है। उन्होनें कोई अपील ही प्रस्तुत नहीं की। रिकार्डेड खातेदार धारा 188 में डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 569, 681, 1221, 2023 पेज 191, 2022 पेज 645 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के आने जाने वाला रास्ता समाप्त हो गया है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अपीलाधीन आदेश भी प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाकर पारित किया है। अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 द्वारा विवादित आराजी पर अपने खर्चे से कराये गये खरंजा को उनके खर्चे पर साफ कराये जाने के आदेश एंव भविष्य में आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने के आदेश दिये हैं, जो हमारी दृष्टि में क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 02 बाडी जिला धौलपुर द्वारा प्रार्थी/रैस्पो0 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण ना मानते हुये, प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी खारिज किया है। रैस्पो0 ने उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो। ऐसा भी कोई कथन दौराने बहस अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 की अनुपस्थिति में पारित हुआ है। अतः हम न्यायहित में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाकर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय दिनांक 26.02.2016 अपास्त किये जाकर उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कराकर तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर